"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 — आषाढ़ 25, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 25, 1941)

क्रमांक-8009/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) जो मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 11 सन् 2019)

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन.

2. पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) में, धारा 9 में, उप-धारा (14) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(14) कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, रूग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर, कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य या राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का कोई अधिकारी कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिस पर कोई कुलपति, जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 9 की उप-धारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण या पुन: पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु इस उप-धारा में अनुध्यात व्यवस्था छ: मास से अधिक की कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, किसी भी कारण से कुलपति का पद रिक्त हो जाने से उद्भूत तत्कालिक व्यवस्था को बनाये रखने तथा कुलपति की नियुक्ति के सीमा विस्तार हेतु, पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) की धारा 9 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

और यत:, राज्य शासन द्वारा विनिश्चय किया गया है कि विश्वविद्यालयों के कार्यों को सुगम बनाने को दृष्टिगत रखते हुए, पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) में संशोधन किया जाये.

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुये, पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) को संशोधित करना आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 6 जुलाई, 2019

उमेश पटेल
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबन्ध

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) की धारा 9 में उप-धारा (14) का सुसंगत उद्धरण :-

कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग, छुट्टी, रूग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी भी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद यथास्थिति ग्रहण या पुन: ग्रहण न कर ले.

परंतु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छ: माह से अधिक कालावधि के लिये चालू नहीं रहेगा.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.